

<p>तारीख हुकम</p>	<p>डिलीपसिंह बनाम राज सिंह वगैरे हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र मु.नं- 67/2009</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए</p>
<p>18-1-22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उपाध्याय फारेक उप./प्रत्यक्षीय अधिकारी दोरे/प्रत्यक्षीय में त/मोटिंग में है। पत्रावली अप्रिम कार्यवाही के दिनांक...20-1-22को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	
<p>20-1-22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वाडी उपाध्याय पत्रावली पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 24-1-2022 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i> दिलीपसिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p>	
<p>24.01.2022</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र में राजीनामा हो जाने से एंव वादपत्र के डिकी हो जाने से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्रा किया जाकर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>7</p> <p><i>(Signature)</i> (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	